

श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

हमारा प्रयास - सबको आवास



श्री शांति कुमार धारीवाल
मंत्री, स्वायत्र शासन,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान सरकार

राजस्थान आवासन मण्डल

“मुख्यमंत्री जन आवास योजना”

अरावली विहार, भिवाड़ी

पंजीकरण योजना वर्ष-2021

RERA Reg. No. : -----

RERA Address : 2nd & 3rd Floor, RSIC Wing, Udyog Bhawan,
Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
RERA Website : <http://rera.rajasthan.gov.in/>

आवेदन 01.09.21 से
अवधि 30.09.21 तक



‘मण्डल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना’

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के मकान के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछ ही वर्षों में मकान आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं / वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है, जिससे मकान में न केवल समरत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती हैं बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बिना लाभ—हानि के सिद्धान्त पर चलता है तथा बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद रूप से मण्डल के मकान सस्ते पड़ते हैं।

मूल्य ₹0 300 + 54 = 354/-



राजस्थान आवासन मण्डल

“मुख्यमंत्री जन आवास योजना वर्ष 2021”

अरावली विहार, भिवाड़ी

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग (जी+3) फ्लेट्स

(मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रावधान 1-ए एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 शहरी के प्रावधान AHP के अन्तर्गत)

आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का

कार्यक्रम

1. ऑन लाइन आवेदन—पत्र उपलब्ध : से
 2. ऑन लाइन आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :
 3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
 4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
 5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
 6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान
- अंतिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।

उप आवासन आयुक्त, वृत—अलवर
राजस्थान आवासन मण्डल, बस स्टेण्ड के पास
मनू मार्ग, अलवर
फोन : 0144 — 2332612

आवासीय अभियन्ता, खण्ड—भिवाड़ी
आशियाना ग्रीन के सामने भिवाड़ी
पिन कोड—301019
फोन : 01493 — 294484

विशेष :

1. रेग पंजीकरण संख्या— RJ/P/2021/1431
2. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर ऑनलाइन भरे जायेंगे। इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रुपये 354/- में पंजीकरण राशि व प्रोसेसिंग शुल्क सम्मिलित कर सीधे ही अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड मार्फत जमा करायी जा सकती है या चालान प्रिन्ट कर AU SMALL FINANCE BANK बैंक के खाता संख्या 100000000000155, IFSC कोड AUBL0002207 में AU SMALL FINANCE BANK की किसी भी शाखा में जमा करायी जा सकती है।



राजस्थान आवासन मण्डल

“मुख्यमंत्री जन आवास योजना वर्ष 2021”

अरावली विहार, भिवाड़ी

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग (जी+3) फ्लेट्स

(मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रावधान 1—ए एवं प्रधानमंत्री आवास योजना—2015 शहरी के प्रावधान AHP के अन्तर्गत)

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल **अधिनियम – 4 वर्ष 1970** के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है।

मण्डल का विशेष रूप से ध्यान आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए मकान उपलब्ध कराने पर केन्द्रित रहा है। यद्यपि यह कार्य काफी कठिन एवं चुनौतीपूर्ण है, फिर भी मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

“मुख्यमंत्री जन आवास योजना वर्ष 2021”

भिवाड़ी की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल समय समय पर विभिन्न आवासीय योजनाओं की सफलता के बाद अरावली विहार, भिवाड़ी में मुख्यमंत्री जन आवास योजना वर्ष 2021 प्रारम्भ करने जा रहा है, जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 536 व अल्प आय वर्ग के 272 फ्लेट्स निर्मित किये जाने प्रस्तावित हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

तालिका—1

फ्लेट्स का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :—

क्र. सं.	आय वर्ग	संख्या	अनुमानित निर्मित सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+3)	536	361.00	7.50
2.	अल्प आय वर्ग (जी+3)	272	536.00	10.50

नोट :— फ्लेट्स की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

आवासीय योजना की विशेषताएँ :—

यह आवासीय योजना अरावली विहार, भिवाड़ी में मंशा चौक के पास स्थित है। इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :—

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. मंशा चौक | 0.5 कि.मी. |
| 2. भिवाड़ी बस स्टेप्ड | 1.0 कि.मी. |
| 3. एन.एच. 8 (धारुहेड़ा) | 3.00 कि.मी. |
| 4. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 60.0 कि.मी. |
| 5. रेवाड़ी रेल्वे स्टेशन | 30.0 कि.मी. |

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तेः—

फलैट्स का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों, उपनियमों एवं उपबंधों/परिपत्रों के अधीन निम्नानुसार किया जावेगा:—

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में फ्लैट का आवंटन किया जा सकता है।
- 2.(अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
- (ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र “आधार कार्ड” (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए।(यदिप्राप्त कर लिये हो)
3. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक, जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास/फ्लैट का आवंटन नहीं किया है, और वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर फ्लैट आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत् आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन पत्र में करेगा तथा शपथ—पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास/फ्लैट आवंटित किया गया है।
5. मण्डल द्वारा फ्लैट्स के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा :—

तालिका 2

क्र. सं.	वर्ग	आवेदक की श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1	जी—1	वैतनिक श्रेणी वैतनिक श्रेणी—प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी—द्वितीय(राज्य सरकार के कर्मचारी.अधिकारी)	18.00 प्रतिशत 10.00 प्रतिशत
2	जी—2	अवैतनिक श्रेणी अवैतनिक श्रेणी—प्रथम (G-2-I) – सामान्य अवैतनिक श्रेणी—द्वितीय (G-2-II) – प्रोफेशनल श्रेणी (केवल प्राफेशनल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर्स)	29.00 प्रतिशत 05 प्रतिशत
3	जी—3	राजस्थान आवासन मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	01 प्रतिशत
4	जी—4	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
5	जी—5	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत

6	जी-6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्थीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत
7	जी-7	स्वतंत्रता सैनानी	0.5 प्रतिशत
8	जी-8	भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	03 प्रतिशत
9	जी-9	दिव्यांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	01 प्रतिशत 01 प्रतिशत 01 प्रतिशत
10	जी-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	01 प्रतिशत
		योग	100.00प्रतिशत

नोट. (अ) श्रेणीवार आरक्षित कोटा निर्धारण हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र अनिवार्य है अन्यथा आवेदक का पंजीकरण अवैतनिक श्रेणी प्रथम में मान लिया जायेगा।

(ब) यदि उपरोक्त तालिका की क्रम संख्या 1 से 10 में दर्शित वर्ग के आवेदकों के पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो अन्य श्रेणी आवेदकों के फ्लैट गैर वेतन भोगी वर्ग (जी 2-I) के लिए अन्तरित कर दिये जायेंगे।

(स) आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए यदि एक भी फ्लैट उस आरक्षित श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध न होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र को सामान्य श्रेणी अवैतनिक वर्ग के आवेदकों की (जी 2-I) में सम्मिलित किया जावेगा।

(द) प्राईवेट सेक्टर में उन्हीं कार्मिकों को शामिल किया जायेगा, जिनकी भविष्य निधि की कटौती उनके संस्थान द्वारा की जाती है तथा संस्थान द्वारा स्थाई वैतनिक होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं कार्मिक द्वारा आयकर विवरिणी का ब्यौरा संस्थान/कर विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

6. “आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्थीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ-पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।”

7. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समरत कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।

8. पंजीकरण राशि निम्नानुसार आवेदन पत्र के साथ देय है, जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है :—

तालिका –3

क्र . स .	आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि	आवेदन शुल्क (रुपये में)	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1	आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग	300000/- तक	2000/- + 12% जीएसटी कुल राशि 2240/-	300/- + 18% जीएसटी कुल राशि 354/-	500/- + 18% जीएसटी कुल राशि 590/-	3184/-
2	अल्प आय वर्ग	300001/- से 600000/- तक	3500/- + 12% जीएसटी कुल राशि 3920/-	300/- + 18% जीएसटी कुल राशि 354/-	700/- + 18% जीएसटी कुल राशि 826/-	5100/-

नोट :— उपरोक्त देय राशि का आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जायेगा।

9. फ्लैट्स का आवंटन नगद भुगतान/किराया क्रय पद्धति के आधार पर किया जायेगा। निर्भित आवासों में 45 प्रतिशत आवास नगद भुगतान तथा 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जाएंगे।
10. आवेदक चाहे तो भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना—2015 शहरी योजना अनुसार राशि रुपये 1.50 लाख अनुदान अथवा सीएलएस के तहत ब्याज में सब्सीडी पात्रता के आधार पर नियमानुसार ले सकेगा।
11. नगद भुगतान पद्धति से फ्लैट आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।
13. वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विरांगनाओं को पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत जमा कराना होगा।
14. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी।
15. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के फ्लैटों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान निम्नानुसार एवं विवरण तालिका—4 अनुसार हैः—

फ्लैट आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार फ्लैट आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त पूर्वग्रहण राशि—पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो जमा करानी होगी।

तालिका –4

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किश्त (रुपये में)			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	5000	5000	5000	15000
2	अल्प आय वर्ग	10000	10000	10000	30000

16. पूर्वग्रहण राशि पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानुसार जी. एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।
17. आवेदकों को **बिन्दु सं. 15** के अनुसार जारी किये जाने वाले पूर्व ग्रहण राशि पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज देना होगा।
18. प्रस्तावित योजना यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
19. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा पूर्व ग्रहण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
20. मण्डल निर्मित फ्लैट्स की लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
21. किराया क्रय पद्धति से फ्लैट आवंटित होने पर तथा फ्लैट का कब्जा नहीं लिये जाने की स्थिति में यदि कोई आवंटी चाहे तो वह भुगतान पद्धति को नगद भुगतान में परिवर्तित करवा सकता है। इस बाबत् आवंटी को आवंटन पत्र जारी होने की दिनांक से 6 माह के अन्दर आवेदन करना होगा। संशोधित आवंटन–पत्र पूर्व में जारी आवंटन पर के निरन्तर क्रम में जारी किया जायेगा तथा उसकी जारी करने की तिथि पूर्व में जारी पत्र की ही मान्य होगी एवं फ्लैट की एक मुश्त (नगद भुगतान) राशि नियत उक्त छः माह की अवधि में ही नियमानुसार शास्ति/ब्याज सहित जमा करानी होगी। उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् आवंटित फ्लैट की कार्यवाही किराया क्रय पद्धति के अनुरूप ही की जायेगी। नगद भुगतान पद्धति से फ्लैट आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जावेगा।
22. आवेदक को लॉटरी द्वारा फ्लैट आवंटित किये जाने के पश्चात् फ्लैट की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु आवंटन–पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त आवंटन पत्र की मांग राशि जमा कराने के लिये समयावधि मण्डल द्वारा नियमानुसार प्रदान की जावेगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही कर फ्लैट का पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

23. पूर्वग्रहण राशि पत्र के मांग पत्र के अनुसार किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख-रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही फ्लैट्स का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने फ्लैट के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।
24. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप फ्लैट के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्च देय होंगे, जिनका आवासों की लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है, ऐसे खर्च निम्न प्रकार के होंगे:-
- (क) **लीज राशि:** यह राशि भूमि की भूमि कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से मय जीएसटी वसूलनीय होगी।
 - (ख) **किराया क्रय अग्रिम जमा राशि :** यह राशि जो कि फ्लैट की कुल कीमत का 5 प्रतिशत है, मण्डल के पास धरोहर के रूप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा में जब्त की जा सकती है। यह राशि किराया क्रय अवधि के संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने पर लौटा दी जावेगी।
 - (ग) **अन्य खर्च :**
 - (i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए 242वीं बोर्ड बैठक में अतिरिक्त भूमि का भी आवंटन पत्र की दर से लिये जाने का प्रावधान किया है, नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
 - (ii) अन्य विविध खर्च, जो कि मण्डल समय समय पर निर्धारित करें।
25. मण्डल के फ्लैट केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। फ्लैट में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर फ्लैट का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
26. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा, जैसे—आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।
27. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा। यदि फ्लैट का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा फ्लैट का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार पंजीकरण राशि जब्त करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
28. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के घोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :-
1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
 2. सेनेटरी फिटिंग
 3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।

29. आवासन मंडल अपनी योजनाओं/फ्लैट में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों में फ्लैट नहीं देने की स्थिति में उसी शहर के अन्य योजनाओं में फ्लैट उपलब्ध करवाने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा एवं इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। आवंटित किये जाने वाले फ्लैट की प्रस्तावित डिजाईन/स्पेशिफिकेशन आदि में परिवर्तन किये जाने का मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा।
30. आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उपबंधों/ परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
31. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
32. आवेदन पत्र निर्धारित दिनांक तक आवश्यक रूप से ऑनलाईन भरना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 33.(अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित आवासीय अभियन्ता, खण्ड भिवाड़ी कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।
- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्य जन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय—समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय में सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।
34. वित्तीय सुविधायें: आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।
35. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक—एक स्व—हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।

36. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 7 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहता है।
37. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भुगतान पद्धति स्पष्ट अंकित की जानी चाहिए, यदि नहीं करता है तो उसे किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत माना जायेगा।
38. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये शून्य घोषित कर दी जावेगी।
39. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चर्स्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।
40. उक्त योजना “मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015” के प्रावधान 1-A के अन्तर्गत सृजित की गई है। “मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015” के प्रावधान <http://jda.urban.rajasthan.gov.in> पर देखे जा सकते हैं।
41. भारत सरकार की “प्रधानमंत्री आवास योजना—2015 (शहरी) योजना” अनुसार सफल आवेदकों को नियमानुसार राशि रूपये 1.50 लाख (अक्षरे डेढ़ लाख रूपये मात्र) प्रति फ्लैट अनुदान/सब्सिडी के रूप में पात्रता के आधार पर भारत सरकार से प्राप्त होने पर दी जा सकेगी। “प्रधानमंत्री आवास योजना—2015 (शहरी) योजना” के प्रावधान <http://pmaymis.gov.in> पर देखे जा सकते हैं।

“प्रधानमंत्री आवास योजना—2015 (शहरी) योजना” के चार घटक (वर्टीकल) के माध्यम से लागू किया गया है।

1. “स्व—स्थाने” स्लम पुर्नविकास (“In situ” Slum Redevelopment)
2. क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास (Affordable Housing through Credit Linked Subsidy)
3. भागीदारी से किफायती आवास (Affordable Housing Partnership)
4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी (Subsidy for beneficiary-led individual house construction)

उक्त चारों घटकों के प्रावधान के अनुसार यदि किसी परिवार ने पूर्व में किसी अन्य घटक (वर्टीकल) में अनुदान/सब्सिडी ले रखी है, तो ऐसे आवेदक इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि धानमंत्री आवास योजना—2015 (शहरी) योजना” के समय—समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार एक लाभार्थी परिवार एक घटक में ही लाभ ले सकता है।

42. एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नि, अविवाहित पुत्र/अविवाहित पुत्रियां शामिल होंगे, जिस लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भी भाग में अपने नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना पक्का घर नहीं होगा, वहीं परिवार इस मिशन के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।

43. स्कीम के अधीन सुविधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक प्रत्येक लाभार्थी से (यदि लागू हो) स्वयं अथवा अपने पति/पत्नि के सम्बन्ध में आधार रखने अथवा आधार अधिप्रमाणन का प्रमाण देने की अपेक्षा की जाती है (भारत सरकार के गजट संख्या 5076 दिनांक 26 दिसम्बर 2018 के अनुसार)
44. वर्तमान योजना "भागीदारी से किफायती आवास (Affordable Housing Partnership)" के अन्तर्गत सृजित की गई है, जिसमें नियमानुसार केन्द्र सरकार द्वारा राशि रूपये 1.50 लाख (अक्षरे एक लाख पचास हजार मात्र) प्रति फ्लैट अनुदान/सब्सिडी राशि के रूप में पात्रता के आधार पर भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त होने पर दी जा सकेगी। अतः "प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 (शहरी) योजना" के अन्य घटक यथा CLSS इत्यादि में सफल आवंटी अन्य सब्सिडी प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
45. उक्त फ्लैट्स राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित करवाये जा रहे हैं। अतः सफल आवंटियों को फ्लैट की कीमत अदा करने में सहयोग हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध ऋणदात्री बैंक/वित्तीय संस्था के नाम आवासीय अभियन्ता खण्ड भिवाड़ी जयपुर द्वारा हस्ताक्षर कर जारी किया जावेगा, जिससे कि आवंटियों को ऋण प्राप्ति में सुगमता हो सके।
46. फ्लैट का मांगपत्र जारी होने के पश्चात आवंटी द्वारा राशि स्वयं के साधनों/बैंक/मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण इत्यादि लेकर चुकाया जाता है, तो ऐसे ऋण पर "प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 (शहरी) योजना" के अन्य घटक यथा क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी योजना (CLSS) के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- (i) प्रत्येक सफल आवंटी का "प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 (शहरी) योजना" के अन्तर्गत HFAPOA (हाउसिंग फॉर ऑल प्लॉन ऑफ एक्शन) पर राजस्थान आवास मण्डल द्वारा सफल आवंटियों का विवरण भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज करवाया जावेगा।
 - (ii) सफल आवेदकों में विकलांग एवं वरिष्ठ नागरिक होने पर भूतल का फ्लैट प्रदान करने की प्राथमिकता विचारणीय होगी। लेकिन इसका उल्लेख/विवरण ऑनलाईन आवेदन के समय ही देना होगा। आवंटन पत्र जारी होने के समय इसके प्रमाण भी दिये जाने होंगे। लॉटरी पश्चात् ऐसे प्रकरणों पर विचार नहीं किया जावेगा।
 - (iii) पात्रता की शर्त पूर्ण न करने पर या अन्य किसी मण्डल निर्णय, राज्यादेश या शहरी भूमि निस्तारण नियम एवं अन्य प्रचलित विधि से अपात्र व्यक्तियों के आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे एवं पंजीकरण शुल्क राशि जब्त करने के सम्बन्ध में भूमि निष्पादन नियम, 1974 नियम एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जारी आदेश प्रभावी रहेंगे।
47. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए एवं आवेदक की आयु आवेदन की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है।
48. फ्लैट से सम्बन्धित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना, अहाते की दीवार, बगीचे, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवंटी को फ्लैट का कब्जा इसी शर्त पर दिया जायेगा एवं आवंटी को उपरोक्त नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। रख रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम

से किया जावेगा। भविष्य में सोसायटी द्वारा नियमित रख रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जावेगी। सोसायटी का गठन आवंटियों द्वारा ही किया जावेगा। भौतिक कब्जा प्राप्त करने के साथ ही आवेदक को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा तय की गई राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट उक्त संस्था के नाम जमा कराना होगा। यह राशि संस्था द्वारा शुरूआती वर्षों में रख रखाव हेतु खर्च की जा सकेगी।

49. परिसर में निर्मित फ्लैट्स का रख रखाव रेजीडेन्ट वेलफेर एसोसिएशन (RWA) द्वारा किया जायेगा। परिसर के अन्तर्गत आने वाले सभी सुविधा क्षेत्र व सामुदायिक सम्पत्ति पर मालिकाना हक राजस्थान आवासन मण्डल का ही रहेगा। योजना के रख रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी हस्तातंरण के उपरान्त RWA की रहेगी।
50. एक पात्र आवेदक फ्लैट निर्माण के लिए प्रस्तावित योजनाओं में से एक ही योजना में आवेदन कर सकेगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

- i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- ii. दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- iii. आवेदन—पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण—पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।
- iv. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- v. “आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/ सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- vi. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- vii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- viii. फ्लैट आवंटन/कब्जे के बाद फ्लैट का रख—रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- ix. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद भिवाड़ी शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- x. आवासन मण्डल की इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- xi. इस योजना में निर्धारित आयवर्ग से दो आयवर्ग ऊपर अथवा दो आयवर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आयवर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आयवर्ग के ऊपर के आयवर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आयवर्ग से नीचे के आयवर्ग को तृतीय वरीयता दी जायेगी।
- xii. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर ऑनलाईन भरे जायेंगे। इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रुपये 354/- में पंजीकरण राशि व प्रोसेसिंग शुल्क सम्मिलित कर सीधे ही अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड मार्फत जमा करायी जा सकती है या चालान प्रिन्ट कर AU SMALL FINANCE BANK बैंक भिवाड़ी के खाता संख्या 100000000000155, IFSC कोड AUBL0002207 में AU SMALL FINANCE BANK की किसी भी शाखा में जमा करायी जा सकती है।

आवेदक का
फोटो

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु.
 वर्ष, जाति निवासी
 एतदद्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं भारत का/की नागरिक हूं।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय—समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
3. यह कि मैं इस योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी का सदस्य रहूंगा तथा सोसायटी के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा/करूंगी।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है। तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
 निवासी सत्यनिष्ठा से घोषणा
 करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 7 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता
 हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतनभोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण—पत्र हेतु शपथ—पत्र
(आवश्यक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

शपथ—पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु.....
..... जाति निवासी
.....(अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँ:-

यह कि मेरे परिवार की वर्ष 2020–2021 में वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से निम्न प्रकार थी—

- अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्त्रोतों से रुपये थी।
- ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये थी।
- स. यह कि वित्तीय वर्ष 2020–2021 में मेरे परिवार की कुल आमदनी रुपये थी।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जाति
..... निवासी

सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य है तथा मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा आवदेक द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही आय के स्त्रोत अथवा उनके स्वामित्व की कृषि भूमि से प्राप्त आय की विवरणिका शामिल किया जाना आवश्यक है।)

आय प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीइस विभाग/उपक्रम/कम्पनी/
 संस्था (विभाग/संस्था का नाम)में
 पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के
 उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी 2020-21
 की सकल वार्षिक आय रूपयेथी।

क्रमांक/दिनांक

विभागाध्यक्ष
 के हस्ताक्षर मय मोहर
 विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.....
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीनिवासी
जिलासंभागराज्यजाति
के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के
 अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में हैं।

हस्ताक्षर

तहसीलदार
 (कार्यालय की मोहर सहित)

स्वतंत्रता सैनानियों के लिए

प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी
 जिला स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हें वर्ष में राज्य सरकार द्वारा
 ताम्र—पत्र/प्रमाण—पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर

जिला कलक्टर/उप सचिव/सहायक सचिव
 (सामान्य प्रशासन विभाग)
 राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी
 ने वर्ष में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1.
2.
3.

सचिव
 राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए

प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी ग्राम.....
 जिला अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम)
 नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी
 सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

भूतपूर्व सैनिकों एवं सैन्य विधवा के लिए

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 श्री..... निवासी.....
 पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
 सेवानिवृत भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/युद्ध में हताहत
 हुए दिव्यांग सैनिक है।

सचिव
 राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना
 अनिवार्य है।)



राजस्थान आवासन मण्डल

“मुख्यमंत्री जन आवास योजना वर्ष 2021”

अरावली विहार, भिवाड़ी

आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग (जी+3) फ्लेट्स

(मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रावधान 1-ए एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 शहरी के प्रावधान AHP के अन्तर्गत)

आवेदन पत्र

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु
1.	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हॉ/ नहीं
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटों यथास्थान अपलोड कर दिया है?	हॉ/ नहीं
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि अपलोड है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हॉ/ नहीं
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण- स्वरूप दस्तावेज अपलोड है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हॉ/ नहीं
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के अनुसार पेनकार्ड की प्रति अपलोड की है?	हॉ/ नहीं
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हॉ/ नहीं
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र अपलोड किया है?	हॉ/ नहीं
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हॉ/ नहीं
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र अपलोड है?	हॉ/ नहीं
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हॉ/ नहीं
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हॉ/ नहीं
12.	क्या वांछित राशि जमा है?	हॉ/ नहीं
13.	क्या वांछित शपथ पत्र अपलोड कर दिये हैं?	हॉ/ नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

- आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
- आवेदक का ग्रुप है –सामान्य / अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ दिव्यांग/ पुरस्कृत / पदक
- आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
- अन्य टिप्पणी.....

क.सहायक / सहायक

कार्यालय अधीक्षक

स.आवासन अधिकारी / सम्पदा प्रबन्धक

पंजीकरण राशि जमा कराने हेतु
 आवेदन क्रमांक
 बैंक खाता संख्या
 आई.एफ.एस.सी.कोड

चालान

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : आवासीय अभियन्ता, आशियाना ग्रीन के सामने, भिवाड़ी

“मुख्यमंत्री जन आवास योजना वर्ष 2021”

अरावली विहार, भिवाड़ी में

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के (जी+3) अ) फ्लेट्स

1.	सेक्टर / कॉलोनी का नाम	:	अरावली विहार, भिवाड़ी
2.	योजना का नाम	:	मुख्यमंत्री जन आवास योजना वर्ष 2021
3.	आवेदक/आवेदिका का नाम	:
4.	पत्र व्यवहार का पता	:
5.	बैंक अकाउन्ट नम्बर आई.एफ.एस.सी.कोड दिनांक	:
6.	पंजीकरण राशि (अंकों में) (शब्दों में)	:	रु0 रुपये

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION

1. R.C.C. Framed seismic resistant structure.
2. Brick masonry in superstructure in cement sand mortar. (1:6)
3. Plaster in Cement sand mortar. (1:6)
4. Tiles/Marble flooring, Mat Finished tiles flooring in bathroom & wall tiles.
5. Steel Door Frames and Steel Windows
6. Flush door shutters with steel fittings.
7. Interior paint (Distemper) and Acrylic paint on Exterior walls.
8. PVC, Water tanks, Toilet fittings, Kitchen Sink and Vitreous China WC/Wash basin.
9. Green Marble Kitchen table top.
10. Concealed PVC conduits with stranded (flexible) copper wire, MCBs.
11. Rain water Harvesting.
12. Open Parking Space.

GROUND FLOOR PLAN

LIG (G+3)



GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION


1. R.C.C. Framed seismic resistant structure.
2. Brick masonry in superstructure in cement sand mortar. (1:6)
3. Plaster in Cement sand mortar. (1:6)
4. Tiles/Marble flooring, Mat Finished tiles flooring in bathroom & wall tiles.
5. Steel Door Frames and Steel Windows
6. Flush door shutters with steel fittings.
7. Interior paint (Distemper) and Acrylic paint on Exterior walls.
8. PVC, Water tanks, Toilet fittings, Kitchen Sink and Vitreous China WC/Wash basin.
9. Green Marble Kitchen table top.
10. Concealed PVC conduits with stranded (flexible) copper wire, MCBs.
11. Rain water Harvesting.
12. Open Parking Space.

TYPICAL FLOOR PLAN


LIG (G+3)



GROUND FLOOR PLAN EWS (G+3)




TYPICAL FLOOR PLAN EWS (G+3)




ARAVALI VIHAR BHIWADI

PROPOSED PART LAY OUT PLAN FOR RSEB



हमारी खुशी का संसार
हमारा अपना घर



राजस्थान आवासन मण्डल

‘आवास भवन’ जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
फोन : 0141-2740812, 2740113, 2740614

E-mail : rebhiwadi.rhb@rajasthan.gov.in | Website : www.urban.rajasthan.gov.in/rhb



राजस्थान आवासन मण्डल

“मुख्यमंत्री जन आवास योजना वर्ष 2021”

अरावली विहार, भिवाड़ी में

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के (जी+3) फ्लेट्स

आवेदन क्रमांक :

आवेदन पत्र

आवेदित आय वर्ग : (सम्बंधित आय वर्ग लिखें)

आवेदक/
आवेदिका का
नवीनतम
सत्यापित फोटो

1	आवेदक/आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करें, इसमें किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री/श्रीमती
2	पिता / पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	श्री
3	जन्म तिथि
4	राष्ट्रीयता
5	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)	पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/झाईविंग लाइसेन्स/बिजली/पानी/टेलीफोन बिल/भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र/अन्य फोटोयुक्त मान्य दस्तावेज
6	व्यवसाय का स्वरूप इंगित (✓) करें (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)	वैतनिक <input type="checkbox"/> अवैतनिक <input type="checkbox"/>
7	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा) दूरभाष नं. मोबाइल. न. ई-मेल आईडी
8	आवेदक / आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रूपये में) (वित्तीय वर्ष 2019–20) पैन नं. (लागू हो, तो अवश्यक लिखें) (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काटछांट नहीं करें)
	(अ) स्वयं की आय (ब) पति/पत्नी की आय (स) आश्रितों की आय
	कुल वार्षिक आय (अ+ब+स) :
9	यदि आवेदक पूर्व पंजीकृत है तो पंजीकरण प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें क) आय वर्ग, जिसमें पंजीकरण हुआ है ख) पंजीकरण का वर्ष ग) वरीयता क्रमांक
आवेदित पंजीकरण का विवरण		
10	पंजीकरण राशि ₹0	वर्तमान आवेदित आय वर्ग
11	भुगतान की पद्धति	नगद भुगतान पद्धति <input type="checkbox"/> किराया क्रय पद्धति <input type="checkbox"/>
12	निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (श्रेणी) इंगित (✓) करें (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
	जी-1 : वैतनिक श्रेणी वैतनिक श्रेणी—प्रथम (G-1-I) (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी—द्वितीय (G-1-II) (राज्य सरकार के कर्मचारी/अधिकारी)	जी-2 : अवैतनिक श्रेणी अवैतनिक श्रेणी—प्रथम (G-2-I) – सामान्य अवैतनिक श्रेणी—द्वितीय (G-2-II) – प्रोफेशनल (केवल प्राफेशनल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेंट एवं प्राइवेट डॉक्टर्स)
	जी-3 : राजस्थान आवासन मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	जी-4 : अनुसूचित जाति
	जी-5 : अनुसूचित जन जाति	जी-6 : वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार
	जी-7 : स्वतंत्रता सैनानी	जी-8 : भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं
	जी-9 : दिव्यांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	जी-10 : वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड़/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी

राजस्थान आवासन मण्डल

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद

“मुख्यमंत्री जन आवास योजना वर्ष 2021”

अरावली विहार, भिवाड़ी में

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के (जी+3) फ्लेट्स

श्री/श्रीमती से वर्ग हेतु

योजना के अन्तर्गत ऊपर वर्णित क्रमांक का आवेदन पत्र प्राप्त किया।

मय बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम

शाखा

(नोट : उपरोक्त समस्त पूर्तियां आवेदक स्वयं करें)

आवेदन क्रमांक

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

14	आवेदक का बैंक बचत खाता संख्या, जिसमें पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में रिफण्ड की राशि का चैक भिजवाया जा सके :—																		
अ.	बैंक, शाखा एवं शहर का नाम																
ब.	बचत खाता संख्या																
स.	आईएफएसरी कोड																
15	संलग्नक																		
	<ul style="list-style-type: none"> (i) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ii) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) (iii) पते का प्रमाण—पत्र (iv) आय का प्रमाण—पत्र (v) पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो) (vi) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट (vii) श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र (viii) स्वयं अथवा पति—पत्नि अथवा आश्रितों के नाम कोई भूमि / भवन न होने संबंधी शपथ पत्र। (ix) अन्य वाछिंत प्रमाण पत्र / शपथ पत्र। 																		
16	क्या स्वयं अथवा आश्रित सम्बंधी के पास पूरा या भाग के रूप में कोई फ्री होल्ड/पट्टे पर जयपुर जिले में कोई भूखण्ड या मकान है, यदि हां तो उसका विवरण :																		
17	घोषणा :—																		
	<p>1 मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।</p> <p>2 मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबंधों एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।</p> <p>3 मेरा या मेरे आश्रितों का आवेदित शहर क्षेत्र, जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ, में पूर्णतया अथवा भाग रूप में, फ्री होल्ड या पटटे के आधार पर भूखण्ड या आवास नहीं है।</p> <p>4 मेरा या मेरे आश्रितों को आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य / विशिष्ट/स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में मण्डल से किसी भी श्रेणी / माप का आवास आरक्षित / आवंटित नहीं है।</p> <p>5 मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।</p> <p>6 मेरी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमानक्रम में नाम निर्देशित करता / करती हूँ:-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>नाम</th> <th>आयु</th> <th>संबंध</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रथम</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>द्वितीय</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>तृतीय</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			क्र.सं.	नाम	आयु	संबंध	प्रथम				द्वितीय				तृतीय			
क्र.सं.	नाम	आयु	संबंध																
प्रथम																			
द्वितीय																			
तृतीय																			

सत्यापित
(नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी)
मुहर के साथ

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम
स्थान
दिनांक

चालान संख्या
राजस्थान आवासन मण्डल
“मुख्यमंत्री जन आवास योजना वर्ष 2021”
अरावली विहार, भिवाड़ी में
आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग
के (जी+3) पलेट्स
मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रावधान 1-ए एवं प्रधानमंत्री
आवास योजना-2015 शहरी के प्रावधान AHP के
अन्तर्गत)

प्रथम प्रति
(आवेदक द्वारा भरा जावे)

1. आवेदक/आवेदिका का नाम
2. पत्र व्यवहार का पता
3. भुगतान पद्धति : नकद/क्रिया क्रय
4. आय वर्ग :
5. ईक ईडी नं.
ईक का नाम :
दिनांक :
6. पंजीकरण राशि (अको में)
(शब्दों में)
दिनांक :
स्थान :
1. आवेदक/आवेदिका का नाम
2. पत्र व्यवहार का पता
3. भुगतान पद्धति : नकद/क्रिया क्रय
4. आय वर्ग :
5. ईक ईडी नं.
ईक का नाम :
दिनांक :
6. पंजीकरण राशि (अको में)
(शब्दों में)
दिनांक :
स्थान :

चालान संख्या
राजस्थान आवासन मण्डल
“मुख्यमंत्री जन आवास योजना वर्ष 2021”
अरावली विहार, भिवाड़ी में
आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग
के (जी+3) पलेट्स
मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रावधान 1-ए एवं प्रधानमंत्री
आवास योजना-2015 शहरी के प्रावधान AHP के
अन्तर्गत)

द्वितीय प्रति
(आवेदक द्वारा भरा जावे)

1. आवेदक/आवेदिका का नाम
2. पत्र व्यवहार का पता
3. भुगतान पद्धति : नकद/क्रिया क्रय
4. आय वर्ग :
5. ईक ईडी नं.
ईक का नाम :
दिनांक :
6. पंजीकरण राशि (अको में)
(शब्दों में)
दिनांक :
स्थान :
1. आवेदक/आवेदिका का नाम
2. पत्र व्यवहार का पता
3. भुगतान पद्धति : नकद/क्रिया क्रय
4. आय वर्ग :
5. ईक ईडी नं.
ईक का नाम :
दिनांक :
6. पंजीकरण राशि (अको में)
(शब्दों में)
दिनांक :
स्थान :

चालान संख्या
राजस्थान आवासन मण्डल
“मुख्यमंत्री जन आवास योजना वर्ष 2021”
अरावली विहार, भिवाड़ी में
आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग
के (जी+3) पलेट्स
मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रावधान 1-ए एवं प्रधानमंत्री
आवास योजना-2015 शहरी के प्रावधान AHP के
अन्तर्गत)

तृतीय प्रति
(आवेदक द्वारा भरा जावे)

1. आवेदक/आवेदिका का नाम
2. पत्र व्यवहार का पता
3. भुगतान पद्धति : नकद/क्रिया क्रय
4. आय वर्ग :
5. ईक ईडी नं.
ईक का नाम :
दिनांक :
6. पंजीकरण राशि (अको में)
(शब्दों में)
दिनांक :
स्थान :
1. आवेदक/आवेदिका का नाम
2. पत्र व्यवहार का पता
3. भुगतान पद्धति : नकद/क्रिया क्रय
4. आय वर्ग :
5. ईक ईडी नं.
ईक का नाम :
दिनांक :
6. पंजीकरण राशि (अको में)
(शब्दों में)
दिनांक :
स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर